

संख्या: 511 / 1-11-2016

प्रेषक:

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

12052
HAC
Adm R
जिलाधिकारी
मेरठ।
9/11

सेवा में

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
गोमती नगर लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

विषय: जिला आपदा प्रबन्ध योजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1414 रा०आ०प्र०प्रा०/18/डी०डी०एम०पी० / 2016-17 दिनांक 22.11.2016 एवं पत्र संख्या-1416 रा०आ०प्र०प्रा०/18/ डी०डी०एम०पी० / 2016-17 दिनांक 23.11.2016, जिसके माध्यम से जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से अनुमोदित कराये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2. प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आपके उपर्युक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त निम्न 44 जनपदों की जिला आपदा प्रबन्ध योजना को राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-31 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमोदित किया जाता है:-

आपदा प्रबन्ध

4

Adm R
14-12-16

जनपद का नाम - कासगंज, फर्रुखाबाद, महोबा, बलरामपुर, बागपत, हमीरपुर, झाँसी, बरेली, पीलीभीत, बलिया, अमेठी, फिरोजाबाद, बस्ती, मैनपुरी, अलीगढ़, ~~मेरठ~~ गोरखपुर, बाराबंकी, शाहजहापुर, हरदोई, कन्नौज, मऊ, प्रतापगढ़, लखनऊ, एटा, शामली, फतेहपुर, महाराजगंज, औरैया, सोनभद्र, श्रावस्ती, अमरोहा, कानपुर नगर, देवरिया, कुशीनगर, बारा, बहराइच, बिजनौर, उन्नाव, बुलन्दशहर, अम्बेडकरनगर, इटावा, जौनपुर, गाजीपुर।
3. अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एन०डी०एम०ए० भवन, नई दिल्ली।
3. राहत आयुक्त, उ०प्र० / संबंधित जिलाधिकारी।
4. परियोजना निदेशक, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोमती नगर लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा सं.

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।

718
8-12-16